

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

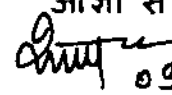
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 714 /2021

दिनांक 09.03.2021

श्रीमती स्नेहलता जाखड़ (RJ0734), विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर-1 को दिनांक 16.02.2021 से 26.02.2021 तक 11 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.02.2021 से 28.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती जाखड़ की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-1 / अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-1 / अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-1 ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर-1 के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
 09/3/2021

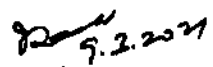
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/17/2013/1698

दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 को उनके पत्रांक 1184 दिनांक 02.03.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्नेहलता जाखड़ (RJ0734), विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर-1
4. विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर-1
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-1
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-1
7. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-1

 09.3.2021
सहायक रजिस्ट्रार